न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा

पीठासन अधिकारी श्री कुसुमलता चौहान आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर :– 73/2021

प्रार्थीनी :–

1. सुशीला कंवर पत्नी जयदेव जाति चारण, निवासी मांडियावास, तहसील पचपदरा जिला –बाडमेर

बनाम

विप्रार्थी :–

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा ।

प्रार्थना पत्र वास्ते धारा 251ए आर.टी ए. (1) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

अधिवक्तागण 1 श्री करणसिंह सोंलकी प्रार्थीनी वकील

आदेश दिनांक :–24.3.2021

प्रार्थीनी यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.ए एक्ट का विप्रार्थी के खिलाफ पेश किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर व्यक्त किया है, कि सरहद मौजा पचपदरा के खसरा संख्या –1250/696 के मूल खसरा संख्या 167 मौजा चिरडाणी की भूमि तक आवागमन करने हेतु विप्रार्थीगण के खातेदारी खेत खसरा न0 697 मौजा पचपदरा में से 30 फीट चौडा रास्ता प्राप्त करने हेतु परिशिष्ट 'अ' में दर्शाये गये हिस्से ए से बी बरंग लाल, घोषित कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहसीलदार पचपदरा से मौके की स्थिति की मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु तहरीर जारी की गयी तहसीलदार पचपदरा के पत्र संख्या राजस्व/2020/600 दिनांक 18.03.2021 से पालना रिपोर्ट प्राप्त हुई । तहसीलदार पचपदरा के द्वारा मौका रिपोर्ट में जाहिर किया गया कि मौजा पचपदरा के खेत खसरा न0 1250/696 प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ट 'अ' के अनुसार ही न्यूनतम दूरी का रास्ता खसरा संख्या 697 में से चिरडाणी के कटान रास्ता तक है। रास्ते की कुल लम्बाई व 30 फीट चौडाई के आधार पर [illegible] बिस्वांशी होती है। ग्राम पचपदरा की कटान रास्ते से जुडती भूमि [illegible]0सी0 दर 2,47,050/ रूपये प्रति बीघा है जो नक्शा मानचित्र पुश्त पर [illegible] है।

प्रार्थीनी वकील की एक पक्षीय बहस को [illegible]ना एवं पत्रावली का [illegible] अवलोकन किया व अध्ययन किया गया । न्यायालय में प्रस्तुत जमाबंदी मौजा पचपदरा के खेत खसरा न0 1250/696 में आवागमन हेतु रास्ता ख0न0 697 मौजा पचपदरा में से 30 फीट चौडा रास्ता प्राप्त करने हेतु नक्शा मानचित्र पुश्त

उप खण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उप खण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.03.27 18:26:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

पर अंकित अनुसार दर्शाये गये हिस्से ए से बी अवलोकन किया गया। इसके अलावा प्रार्थीनी के आवागमन के लिए अन्य कोई विकल्प में रास्ता उपलब्ध नहीं है।

तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार उक्त प्रकरण मे पटवारी हल्का से मौका एवं रेकार्ड से जाचं की गई जिसके अनुसार मौजा पचपदरा के खसरा संख्या –1250/696 के मूल खसरा संख्या 167 मौजा चिरडाणी की भूमि तक आवागमन करने हेतु विप्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा न0 697 मौजा पचपदरा में से 30 फीट चौडा रास्ता प्राप्त करने हेतु परिशिष्ट 'अ' में दर्शाये गये हिस्से ए से बी बरंग लाल, के अनुसार है जो प्रार्थीनी के निकटतम रास्ता है, इसके अलावा अन्य कोई रास्ता विकल्प में उपलब्ध नहीं है, चुंकी प्रार्थीनी खातेदार टिनेन्ट है जिसको कृषि कार्य व आवागमन के उपयोग हेतु है। जिसका प्रावधान धारा 251 ए रा.क. अ में प्रावधित है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर खेत खसरा मौजा पचपदरा के खसरा संख्या –1250/696 के मूल खसरा संख्या 167 मौजा चिरडाणी की भूमि तक आवागमन करने हेतु विप्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा न0 697 मौजा पचपदरा में से 30 फीट चौडा रास्ता प्राप्त करने हेतु परिशिष्ट 'अ' में दर्शाये गये हिस्से ए से बी बरंग लाल, के अनुसार 1 बिस्वा 05 बिस्वारी भूमि रास्ता हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। प्रार्थीगण इस हेतु डी. एल.सी रेट 247050/– प्रति बीघा निर्धारित है, जिसके अनुसार रास्ते के लिए प्रस्तावित 1 बिस्वा 05 बिस्वारी भूमि की राशि 15450 रूपये की नियमानुसार देय दुगनी क्षतिपूर्ति राशि रूपये 30900 /– रूपये राज्य सरकार के खाते में तहसीलदार पचपदरा के कार्यालय में जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें। राशि जमा होने पर तहसीलदार पचपदरा नियमानुसार रेकर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करें।

मौका रिपोर्ट दिनांक 17.03.2021 में चिन्हित किया गया नक्शा इस निर्णय भाग समझ कर साथ पढा जाएं।

उप खण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

आदेश आज दिनांक 24.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.03.27 18:26:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned with CamScanner